डाबर की नकली पुदीन हरा बनाने व बेचने वाले के ठिकाने पर छापा

Publish Date:Wed, 28 Aug 2019 09:09 PM (IST)

संजीत कुमार राम के भाई एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जुड़े हुए हैं। छापेमारी की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। लोग तरह-तरह के चर्चा कर रहे हैं। छापेमारी के बाद पुलिस व डाबर कंपनी के

संवाद सूत्र, भुरकुंडा : भुरकुंडा ओपी क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नगर में डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के फर्जी व नकली पुदीन हरा बनाने व बेचने का मामला प्रकाश में आया है। डाबर कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता कुमार दयाशंकर के आवेदन पर भुरकुंडा पुलिस ने बुधवार को सशस्त्र बल के साथ उक्त दुकान व मकान में छापामारी की। इस दौरान पुदीन हरा की डुप्लीकेट 700 भरी शीशी व 1050 खाली शीशी व 41 हजार 52 नकली रैपर बरामद किया गया। छापामारी में डाबर कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे।

कंपनी को गुप्त सूचना मिली थी कि भुरकुंडा क्षेत्र में कंपनी के नाम पर फर्जी व नकली डाबर का पुदीन हरा बनाने व बेचने का काम चल रहा है। इसके बाद कंपनी ने पुलिस को इसकी लिखित शिकायत की। इस पर पुलिस ने छापामारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने उक्त दुकान से संजीत कुमार राम नामक युवक को गिरफ्तार भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां यह समान बरामद हुआ है, उस दुकान के ऊपर पतरातू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बोर्ड लगा हुआ है। बताया जाता है कि संजीत कुमार राम के भाई एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जुड़े हुए हैं। छापामारी की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। छापामारी के बाद पुलिस व डाबर कंपनी के लोगों ने स्थानीय गवाह मंजीत कुमार सिंह व उदय सिंह को भी साथ रखा। उनके सामने समान की जब्त सूची बनाई। छापामारी अभियान में भुरकुंडा ओपी प्रभारी रघुनाथ सिंह, एएसआइ परिक्षित महतो दल-बल के साथ शामिल थे। जब्त सभी समान को भुरकुंडा ओपी ले आया गया। पूरे मामले की छानबीन जोर-शोर से चल रही है।

--

ट्रेड मार्क अधिनियम व कॉपी राइट अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग

डाबर कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता कुमार दयाशंकर ने भुरकुंडा ओपी में दिए आवेदन में कहा है कि डाबर के असली पुदीन हरा शीशी के ढक्कन पर वृक्ष का निशान होता है। जबकि जब्त शीशी में यह निशान नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रेड मार्क के अधिनियम की धारा 103/104 व कॉपी राइट अधिनियम 1957 की धारा 63/64/65 के तहत पूरा मामला कानून अपराध है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से उक्त कारखाना व संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

--

5 रुपये प्रति पैकिग का दिया था काम : संजीत

पूरे मामले पर पकड़े गए युवक संजीत कुमार राम ने बताया कि मैं अनपढ़ हूं यह नहीं जानता कि यह माल नकली है या असली। रामगढ़ का एक व्यक्ति दो दिन पूर्व मेरे घर आकर उक्त समान दिया था। साथ ही कहा था कि इसकी पैकिग पर प्रति पैंकिग 5 रुपये मिलेंगे। उक्त व्यक्ति आज ही के दिन माल लेने के लिए आने वाला था। उसी बीच यह छापामारी हुई है। मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है। रोजगार के लालच में बीना जाने मैनें यह काम किया है।

Posted By: **Jagran**

Source: https://www.jagran.com/jharkhand/ramgarh-dabar-ki-naki-pudin-hara-19527031.html